

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.- 16/22

महावीरप्रसाद पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :- 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट- वकील प्रार्थी
2. पेरोंकार राज

-: निर्णय :-

दिनांक:- 08-06-22

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपनोग का खेत खसरा संख्या 1233/529 तादादी 0.3920 हेक्टेयर भूमि वाके रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु में एकल स्वामित्व का स्थित है। प्रार्थी ने उक्त भूमि इस खेत के पूर्व खातेदार हुलासराम पुत्र मुकनाराम जाति माली निवासी साण्डवा से जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2004 के खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर प्रार्थी ने विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का साण्डवा को नामान्तरण दर्ज करने व तरमीम करने हेतु दी थी। पटवारी हल्का साण्डवा ने नामान्तरण दर्ज कर दिया लेकिन उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्शाये आसापासा अनुसार तरमीम नहीं करके गलत रूप से तरमीम कर दी। जबकि पटवारी हल्का साण्डवा को पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्शाये आसापासा अनुसार तरमीम करनी थी। पटवारी हल्का साण्डवा ने आसापासा के विपरित तरमीम कर दी। जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र व मौका कब्जा काश्त के विपरित है। पटवारी हल्का का यह कर्तव्य था कि वो पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित आसापासा अनुसार तरमीम करें। जबकि पटवारी हल्का साण्डवा द्वारा ऐसा नहीं करके अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है। प्रार्थी की खरीद शुद्धा भूमि की तरमीम सही नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है। प्रार्थी का मौका पर कब्जा काश्त पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्शाये अनुसार है। पटवारी हल्का साण्डवा ने पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित आसापासा अनुसार तरमीम नहीं करके अपनी मर्जी से तरमीम कर दी जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व नक्शा में तरमीम गलत होने से प्रार्थी को बैंक से ऋण लेने व अन्य कार्यों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो पंजीकृत विक्रय पत्र में दर्शाये अनुसार राजस्व नक्शा में संशोधन करवाये जिसके लिए प्रार्थी को कानूनी अधिकार है। पंजीकृत विक्रय पत्र व मौका कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं होने के कारण पाडौसी खातेदारों से भी विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी ने दिनांक 25.02.2022 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के खेत की सीवे पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व एक्स में तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन कराये। इस पर अप्रार्थी ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व एक्स में पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन कराये। राजस्व एक्स को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी को अपने खेत के



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

नक्शे की आवश्यकता होने पर जब पटवारी हल्का से नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त की तब प्रार्थी को अपने खेत के नक्शे को देखने पर पता चला की वर्तमान नक्शा पंजीकृत विक्रय पत्र व कब्जा काश्त मीका के अनुसार नहीं है। तब पटवारी से पुष्टता करने पर पता चला की पंजीकृत विक्रय पत्र की तरमीम के समय से ही यह गलत नक्शा चल रहा है। और पटवारी ने अपने रत्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थी को गलत नक्शा की जानकारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र राजस्व एक्स में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। आदि-आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया।


प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने राजहित प्रभावित नहीं होना अंकित किया है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रायली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश पंजीकृत विक्रय-पत्र का अवलोकन किया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार प्रार्थी की भूमि सडक पर स्थित है। जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा के अनुसार प्रार्थी की भूमि सडक से दूर है। इससे जाहिर होता है कि तरमीम पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसार नहीं की गई। प्रार्थी ने पंजीकृत विक्रय-पत्र के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: आदेश :-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि रोही ग्राम साण्डवा के खसरा संख्या 1234/529 तादादी 1.2646 हेक्टेयर में सें सलंगन नजरी नक्शे अनुसार पश्चिमी साईड की 0.4649 हेक्टेयर भूमि व पूर्वी साईड की 0.7587 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 1233/529 के बीच में सडक पर 0.0410 हेक्टेयर भूमि रामचन्द्र, मैना, लिछमा, संतोष पिता हुलासराम जाति माली व संग्राम पुत्र गणपतराम जाति माली निवासी साण्डवा के नाम पूर्व हिरसानुसार संयुक्त रूप से तीन अलग-अलग जगह दर्ज कर तरमीम करने तथा सलंगन नजरी नक्शे के अनुसार बीच में प्रार्थी की खसरा संख्या 1233/529 तादादी 0.3920 हेक्टेयर भूमि की तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08-06-22 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बीदासर



नक्शा

शेही ग्राम सांडवा हरलीस बीदास जिला रूड का खसरा

$\frac{1233}{529}$ गाडी 0.3920 हे इति निम्नी हरमीम प्राणी

गरतीरसाड पुत्र रामकुमार जाति जाट निम्नी सांडवा
सही कावाग चाटल है

N
↑
S

$\frac{1234}{529}$ मिन (0.410 हे)

नौजा सीक सडक

$\frac{1234}{529}$ मिन 0.4649 हे	$\frac{1233}{529}$ 0.3920 हे	$\frac{1234}{529}$ मिन 0.7587 हे
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

नोट:- नक्शा हसब ख्वाशिस साडीस कुसाल लेंया
किना गमा ही प्राणी उपोसुसाल हरमीम
कावाग चाटल है मधवीकर



उपखण्ड अधिकारी
 बीदासर